



ನ್ಯಾಯಾಲಯ उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठसीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - हिमोस्मिथ, धनोडिया, पन्ना)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं.: १२११/२०२५ ..... दापर दिनांक ०३.१०.२०२५ निर्णय दिनांक ०३.१०.२०२५

ग्रामीण सेवा शिविर - २०२५

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खाना नं.	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
13	धनोडिया	126	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p>	<p>तहसिलीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वयेन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम धनोडिया में पु.इ. हिमोस्मिथ स्थित संख्या .....1-2-6..... में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरापद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
	हस्ताक्षर, पटवारी	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

पटवार हस्ताक्षर, पटवारी  
ता.ह. कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

हस्ताक्षर गिरदावर  
पटवारों  
ता.ह. कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

शुद्ध प्रविष्टी  
04-10-25

कपासन  
तहसीलदार(भू.अ.)

सहायक कलक्टर  
(दापरदा) कपासन  
कपासन